सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र

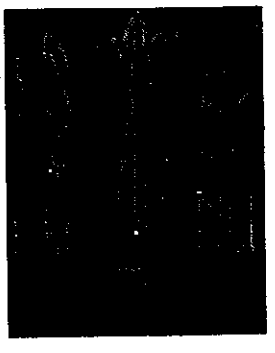

बिहार सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या–1

अध्याय-II
वाहनों पर कर

[redacted]

[redacted]

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989; बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों [1] तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है एवं मोटर वाहनों का निबंधन, फीस और कर का आरोपण एवं संग्रहण एवं चालक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का उत्तरदायित्व जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

[redacted]

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन होता है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाईयों की संख्या एवं प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना संबंधित सूचना हमें अप्राप्त (अक्टूबर 2016) हैं।

[redacted]

वर्ष 2015–16 के दौरान परिवहन विभाग के अंतर्गत 49 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ हैं, जिनमें से 35 इकाईयों को लेखापरीक्षा हेतु योजना में लिया गया तथा हमने 33 इकाईयों (डी.टी.ओः 29, आर.टी.ए.: 2, एस.टी.सीः 1 एवं पी.एस.यू: 1) की लेखापरीक्षा की। हमने ₹ 94.57 करोड़ से सन्निहित 299 मामलों में राजस्व की कम वसूली, राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि **तालिका–2.1** में वर्णित है।

---

[1] भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और वैशाली।

तालिका–2.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

1.	'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण' का निष्पादन लेखापरीक्षा	1	39.15
2.	नये निबंधित मैक्सी/कैब से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	37	8.79
3.	निबंधन के लिए लंबित ट्रैक्टर (वाणिज्यिक) से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	59	7.96
4.	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	27	4.56
5.	तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	35	3.74
6.	व्यापार प्रमाण पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	23	2.29
7.	अन्य मामले	117	28.08

वर्ष 2015–16 के दौरान मोटर वाहन करों पर हमारे लेखापरीक्षा अवलोकनों का लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित चार्ट–2.1 में प्रदर्शित है:

चार्ट–2.1

लेखापरीक्षा के परिणाम (₹ 94.57 करोड़)

(₹ करोड़ में)

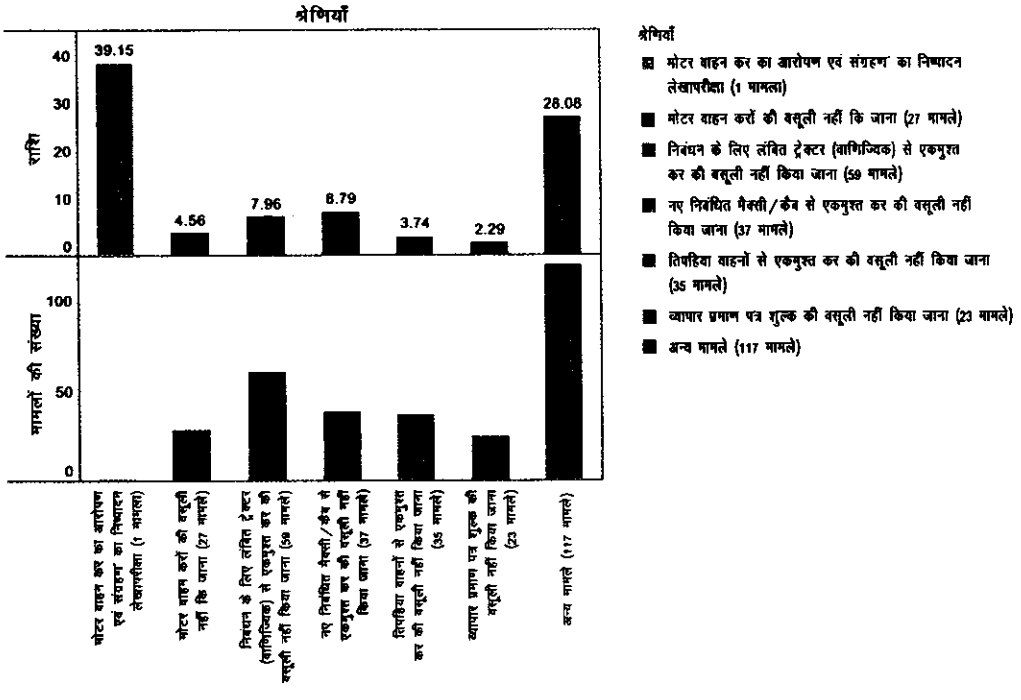

उपर्युक्त वर्णित मामलों में से विभाग द्वारा 11 मामलों में सन्निहित ₹ 7.22 करोड़ राजस्व का कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य त्रुटियाँ के मामले स्वीकार किये गये, जिसमें से ₹ 7.07 करोड़ से सन्निहित चार मामले वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 48.57 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित 'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा अवलोकन तथा कुछ अन्य दृष्टांतस्वरूप लेखापरीक्षा अवलोकन निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

[redacted]

[redacted]

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता से खराब वायु से प्रभावित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वे में पाया गया कि 2.5 अथवा इससे कम माइक्रॉन के अतिसूक्ष्म कण का वार्षिक औसत स्तर 149 (वर्ष 2013) तथा 10 अथवा इससे अधिक माइक्रॉन के कण का स्तर 167 (वर्ष 2012) के साथ पटना विश्व का छठा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन इन्दिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र तारामंडल, पटना ने रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के प्रति घनमीटर 60 माइक्रोग्राम के मान्य सीमा के विरूद्ध 280 के साथ शहर के वायु गुणवत्ता को "अत्यधिक अस्वास्थ्यकर" घोषित (16 दिसम्बर 2016) किया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये एम्बिएन्ट एयर क्वालिटि मोनिटरिंग हेतु गाईडलाइन यह बताता है कि रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मुख्य स्रोतों में से एक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना में वाहनों की संख्या 1 अप्रैल 2011 के 2.34 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 6.74 लाख हो गयी। यह स्पष्ट करता है कि पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(कंडिका 2.4.9.1)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संधारित आँकड़ों के अनुसार हालाँकि शहर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के स्तर में वृद्धि हुई है, परन्तु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि कार्यालय में शहर के साथ राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित नहीं हो रहा था। जिसके परिणामस्वरूप विभाग प्रदूषण जाँच केन्द्रों के मानकों का अनुश्रवण नहीं कर सका, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही हैं तथा सिर्फ उन्हीं वाहनों को राज्य में चलाने की अनुमति दी गई है, जो विहित प्रक्रिया के पालन के पश्चात् 'प्रदूषण नियंत्रण' के रूप में अभिप्रमाणित हैं। प्रदूषण जाँच केन्द्रों के क्रियाकलापों पर राज्य परिवहन आयुक्त के नियंत्रण का अभाव पटना में प्रदूषण स्तर में वृद्वि का कारण हो सकता है।

(कंडिका 2.4.9.2)

वैलिडेसन जाँच एवं उचित अनुश्रवण के अभाव के कारण फर्जी लेन–देन के 35 मामले (जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में) तथा मनी रसीद को अनियमित रूप से रद्द किये जाने के 81 मामले (पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में) थे। मनी रसीद के संचालन में फर्जी लेन–देन/कदाचार का यह पैमाना वाहन डाटाबेस की अखंडता एवं सुरक्षा को संदिग्ध बना दिया।

(कंडिका 2.4.8)

वाहन सॉफ्टवेयर के रजिस्ट्रेशन माड्यूल में वैलिडेशन जाँच के अभाव एवं जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अन्तः–सम्बद्धता में कमी के कारण 132 वाहनों का निबंधन कम विक्रय मूल्य पर हुआ था। पुनः 52 वाहनों का निबंधन दूसरे जिलों में क्रय की वास्तविक तिथि के बाद तथा कम विक्रय मूल्य पर की गई थी। अस्थायी निबंधन संख्या दिये बगैर 19,447 वाहनों की सुपुर्दगी की गई थी तथा 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का

निबंधन बगैर ट्रेलर के किया गया था। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप ₹ 30.90 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.10)

जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में 3,188 अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच के बगैर ही ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर दिये गये थे। हालाँकि सारथी डाटाबेस इंगित किया कि लाइसेंस जाँच उत्तीर्ण होने के बाद निर्गत किये गये थे, जो संसूचित करता है कि डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लाइसेंस का इस तरह निर्गत किये जाने से दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का भी जोखिम था।

(कंडिका 2.4.11)

चूंकि विभाग जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अंतः–जुड़ाव में विफल रहा, अतः बगैर परमिट के तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बसों के परिचालन का पता नहीं चला।

(कंडिका 2.4.12)

शुल्क के रूप में संग्रहित ₹ 10.10 करोड़ की राशि, बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान की अवहेलना करते हुये दो दिनों से 10 महीनों के विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषित की गई थी। पुनः विभिन्न राज्यों/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से परमिट शुल्क के रूप में प्राप्त 596 बैंक ड्राफ्ट का नगदीकरण उनके वैधता अवधि के दौरान नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.14)

[redacted]

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 तथा बिहार मोटर वाहन कराधान नियमवाली, 1994 के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण किया जाता है। लाइसेंस हेतु शुल्क, वाहनों का निबंधन, योग्यता प्रमाणपत्र, परमिट तथा कम्पाउडिंग अपराध हेतु दंड का आरोपण तथा वसूली, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 और उसके तहत् जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

निबंधित मोटर वाहनों और ड्राइविंग लाइसेसों का एक राष्ट्रीय पंजी तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सुरक्षा एजेन्सियों को महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को वाहन[2] एवं सारथी[3] सॉफ्टवेयर अंगीकार करने का निदेश जारी किया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन. आई. सी.) नई दिल्ली द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। राष्ट्रीय पंजी के अतिरिक्त, इन सॉफ्टवेयरों का उद्देश्य मोटर वाहनों और लाइसेसों की राज्य पंजी भी विकसित करना था। इन दोनों कम्प्यूटर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए क्रमशः मई 2008 एवं फरवरी 2009 से विभाग के कार्यकलापों को कम्प्यूटरीकृत किया गया था। सर्वर के लिए विंडो 2000 तथा सभी क्लाईंट के लिए एक्स.पी. ऑपरेटिंग प्लेटफार्म था। वाहन सॉफ्टवेयर में वाहन निबंधन, वाहन निबंधन का नवीनीकरण, स्वामित्व का हस्तानांतरण, पते में बदलाव, बंधक (हाईपोथिकेशन) का निराकरण, परमिट तथा कर इत्यादि विभिन्न माड्यूल थे तथा सारथी सॉफ्टवेयर में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन तथा नवीनीकरण करना विभिन्न माड्यूल था।

---

2 वाहनों के निबंधन तथा पथ कर सामाधान हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

3 विभिन्न लाइसेंसों के निर्गमन हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

सरकार स्तर पर विभाग, प्रधान सचिव द्वारा प्रशासित है, जबकि राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार विभाग के प्रधान हैं तथा अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर इनका सहयोग दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त करते हैं। राज्य को नौ क्षेत्रों तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है, जो क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के सचिव तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों के नियंत्रण में है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न **चार्ट–2.2** में दिया गया है।

चार्ट–2.2

संगठनात्मक ढांचा

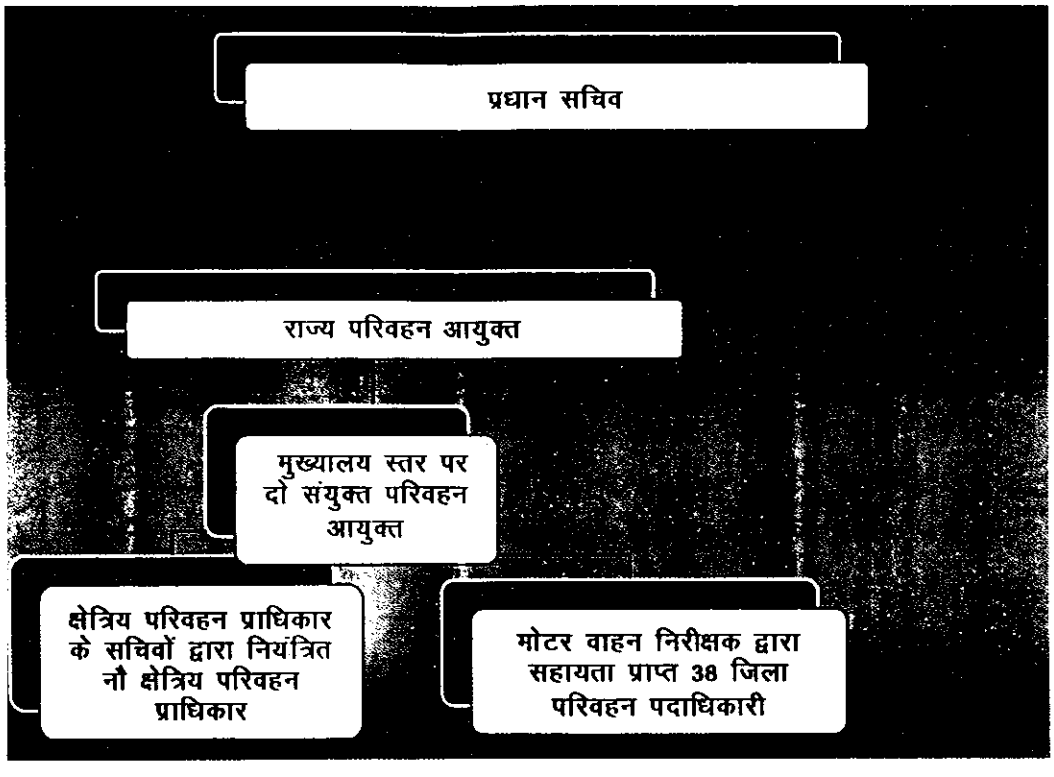

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था, कि क्याः

- मोटर वाहन करों, फीस एवं जुर्माना इत्यादि का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु अधिनियमों एवं उसके तहत् बने नियमावलियों तथा समय–समय पर निर्गत अधिसूचनाओं, के प्रावधान को दक्षता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से लागू किये जा रहे थे; तथा
- विभाग के पास राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण तथा इसके सरकारी खाता में प्रेषण हेतु एक प्रभावी एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान था।

[redacted]

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से ली गई है:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;
- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994;
- बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994;
- बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992;
- विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अधिसूचनाएँ, परिपत्रों, कार्यकारी और विभागीय आदेशों और निर्देशों;
- बिहार तथा ओड़ीशा लोक माँग और वसूली अधिनियम, 1914;
- बिहार बजट प्रक्रिया; और
- बिहार वित्तीय नियमावली ।

[redacted]

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन मार्च से जुलाई 2016 के दौरान किया गया। 38 जिला परिवहन कार्यालयों में से 10[4], जिसमें तीन चेक पोस्ट[5] शामिल हैं तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में से दो (मुजफ्फरपुर और पूर्णिया) का चयन रैण्डम रूप से इंटरैक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन विश्लेषण के माध्यम से वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान सृजित राजस्व के आधार पर किया गया। दो जिला परिवहन कार्यालयों (कैमुर और सहरसा) को विभाग के अनुरोध पर चयनित किया गया। इसके अलावा राज्य परिवहन आयुक्त, जो मुख्यालय स्तर पर नियंत्री कार्यालय है, को भी निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में अभिलेखों की जाँच, विभाग से आँकड़े प्राप्त करना, लेखापरीक्षा ज्ञाप एवं प्रश्नावली निर्गत करना और लेखापरीक्षित कार्यालयों से निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए जवाब प्राप्त करना शामिल था। 29 मार्च, 2016 को आरंभिक सम्मेलन का आयोजन राज्य परिहवन आयुक्त के साथ की गयी, जिसमे लेखापरीक्षा का क्षेत्र, कार्य–पद्धति तथा लेखापरीक्षा उद्देश्य, जिसमें नमूने प्राप्ति की विधि सम्मिलित है, के बारे में विभाग को बताया गया। 6 अक्टूबर, 2016 को एक अंतिम सम्मेलन का आयोजन, राज्य परिवहन आयुक्त के साथ किया गया, जिसमें इस लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा की गयी। उनकी टिप्पणियों को उचित रूप से संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित कर लिया गया है।

[redacted]

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

[redacted]

बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के अनुसार, राजस्व और प्राप्तियों के प्राक्कलन में वर्ष भर के अंदर वसूलनीय राशि को दिखाना चाहिए। आने वाले वर्ष के लिए स्थायी

---

[4] बेगुसराय, किशनगंज, कटिहार, गया, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, वैशाली और पश्चिमी चम्पारण।

[5] दालकोला (पूर्णिया), डोभी (गया) तथा कर्मनाशा (कैमुर)।

राजस्व के प्राक्कलन में, गणना वास्तविक माँग के आधार पर होना चाहिए जिसमें विगत वर्षों का बकाया और वर्ष के दौरान उनकी वसूली की संभावनाओं को समाहित किया जाना चाहिए। बकाए और वर्तमान माँग को अलग–अलग दिखाना चाहिए और यदि पूर्ण वसूली की संभावना नहीं हो तो कारण बताना चाहिए। राजस्व के उतार–चढ़ाव के मामले में, प्राक्कलन, विगत तीन वर्षों की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

पुनः बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 37 यह उपबंधित करता है कि विभागीय पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि वह यह देखें कि सरकार को देय राशि नियमित और शीघ्रता से निर्धारित एवं वसूली कर लिया गया है और लोक लेखा में जमा कर दिया गया है तथा इसकी मिलान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के अभिलेखों से यह देखने के लिये कर ली गयी है कि वसूल की गई राशि लोक लेखा में जमा हो गई है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लिए बजट प्राक्कलन के विस्तृत ब्यौरों और वास्तविक प्राप्तियों (वित्त लेखा के अनुसार) निम्न **तालिका**–2.2 में प्रदर्शित है:

<u>तालिका–2.2</u>

राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

[illegible]	[illegible] प्राक्कलन	वित्त लेखा के अनुसार प्राप्तियाँ	[illegible]	वास्तविक प्राप्तियाँ एवं बजट प्राक्कलन [illegible] में भिन्नता	भिन्नता का प्रतिशत	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
2011–12	537.00	569.13	557.48	32.13	5.98	11.65
2012–13	644.40	673.39	669.30	28.99	4.50	4.09
2013–14	800.00	837.48	835.51	37.48	4.68	1.97
2014–15	1000.00	963.56	966.46	(–)36.44	(–)3.64	(–)2.90
2015–16	1200.00	1081.22	1070.97	(–)118.78	(–)9.90	(–)10.25

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की वास्तविक प्राप्तियों (वित्त लेखा के अनुसार) के साथ–साथ बजट प्राक्कलन को निम्न **चार्ट**–2.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट–2.3

राजस्व की प्रवृति

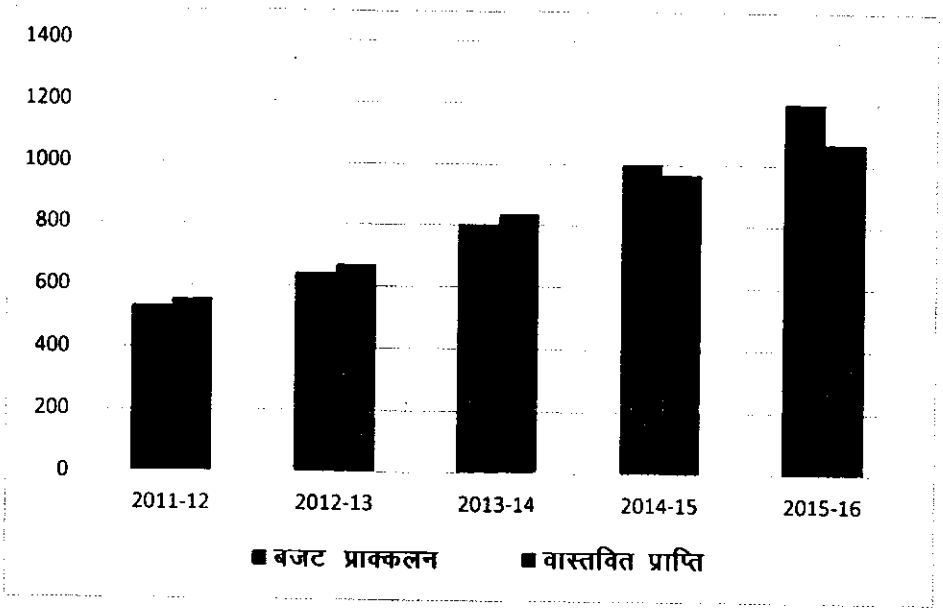

उपरोक्त तालिका संसूचित करता है कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन से अधिक था। यद्यपि वर्ष 2015–16 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ, बजट प्राक्कलन से 9.90 प्रतिशत तक घट गया था जो चिंता का विषय है और जिसे विभाग द्वारा विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है। पुनः वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राप्तियों में भिन्नता ₹ (–) 10.25 करोड़ और ₹ 11.65 करोड़ के बीच थी जो इंगित करता है कि समय पर मिलान नहीं किया गया था। महालेखाकार (ले0 एवं ह0) द्वारा मार्च 2016 में सूचित करने के बावजूद विभाग ने अपने राजस्व संग्रहण आँकड़ों का मिलान नहीं किया। हमने यह भी पाया कि सभी 12 चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में करो के संग्रहण एवं लेखांकन हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। इसके बावजुद अधिकांश लाभार्थी अपने कर/शुल्क का भुगतान पारंपरिक तौर पर जिला परिवहन कार्यालयों के काउन्टर पर ही कर रहे हैं।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि वर्ष 2015–16 में प्राप्तियों में कमी, पदाधिकारियों के विधान सभा चुनाव में व्यस्तता के कारण आयी।

अनुशंसा–1: सरकार/विभाग को राजस्व संग्रहण के आँकड़ों का महालेखाकार (ले0 एवं ह0)के लेखे के साथ आवधिक मिलान यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिये कि वसूल की गई राजस्व का सही लेखांकन तथा कोषागार में जमा की गई है।

[redacted]

जिला परिवहन कार्यालयों, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों और राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने कई अनियमितताओं/त्रुटियों को पाया जो अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं :

[redacted]

[illegible] के अभाव के कारण फर्जी लेन–देन के 35 मामले (जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में) तथा मनी रसीद का अनियमित रूप से रद्द किये जाने के 81 मामले (पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में) [illegible] के कारण ₹ 20.63 लाख के सरकारी राजस्व का [illegible]

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 37 में प्रावधान है कि सभी लेन–देन बिना किसी विलम्ब से खाते में दर्ज कर दिया जाना है तथा प्राप्त राशि को सरकारी खाते में जमा कर देनी है।

- नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में मैन्युअल कैश बुक[6] के साथ वाहन सॉफ्टवेयर से लेखापरीक्षा द्वारा जनित दैनिक कैश बुक की तिर्यक जाँच से हमने पाया (मई 2016) कि जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में वाहन डाटाबेस के दैनिक कैश रिपोर्ट के जनित प्रति में दर्शायी गई राशि, उसी खास दिन के मैन्युअल कैश बुक में प्रविष्ट की गई राशि से अधिक थी। हमने पुनः पाया कि लेखापरीक्षा के दौरान 30 सितम्बर 2014 से 4 मई 2016 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा द्वारा जनित दैनिक कैश रिपोर्ट में लेन–देन की वास्तविक तिथि के बाद 35 लेन–देन किये गये थे। इन लेन–देनों में से दो लेन–देन आगे आने वाले तिथि, अर्थात् 8 दिसम्बर 2016 को प्रविष्ट किये गये थे। इसके फलस्वरूप ₹ 11.41 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट– I** में वर्णित है।

- चयनित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर के डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[7] में 81 वाहनों से मई 2011 से फरवरी 2016 की अवधि के दौरान ₹ 19.20 लाख के कर का संग्रहण प्रारंभ में किया गया था, परन्तु बाद में उनके रसीद रद्द पाये गये थे। इसके विरूद्ध ₹ 16.47 लाख के 63 रद्द रसीदों के मामले में ₹ 9.98 लाख की कम राशि की नई रसीद निर्गत किये गये थे तथा ₹ 2.73 लाख से सन्निहित शेष 18 रद्द रसीदों के मामलों में कोई नई रसीद जनित नहीं किये थे, लेकिन इन सभी 81 वाहनों के मामलों में वाहन डाटाबेस में कर (त्रैमासिक/एकमुश्त कर) का चुका दिया जाना तथा लेखापित कर दिया जाना/स्मार्ट कार्ड निर्गत प्रदर्शित था। इसके फलस्वरूप ₹ 9.22 लाख (₹ 19.20 लाख–₹ 9.98 लाख) की राशि के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–II** में वर्णित है।

मनी रसीद के संचालन में फर्जी लेन–देन/कदाचार का यह पैमाना वाहन डाटाबेस की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा को संदिग्ध बना दिया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है (मई 2016) एवं पश्चिमी चम्पारण में संबंधित कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विभाग ने पुनः कहा (अगस्त 2016) कि ऐसे कदाचार को रोकने हेतु वाहन एवं सारथी डाटाबेस के अनुश्रवण एवं सुरक्षा के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को व्यापक निर्देश निर्गत कर दिया गया है।

अनुशंसा–2: सरकार/विभाग को डाटा की अखंडता एवं सर्वर की सुरक्षा हेतु वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक पासवर्ड तथा आवश्यक वैलिडेशन जाँच को सुनिश्चित करना चाहिये।

---

6 मैन्युअल कैश बुक में लेन–देन की तिथि को जनित कैश रिपोर्ट के अनुसार राशि की प्रविष्टि की जाती है।

7 कटिहार, कैमुर, पुर्णिया, सहरसा एवं पश्चिमी चम्पारण।

[redacted]

[redacted]

पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता से खराब वायु से प्रभावित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वे में पाया गया कि 2.5 अथवा इससे कम माइक्रॉन के अतिसूक्ष्म कण का वार्षिक औसत स्तर 149 (वर्ष 2013) तथा 10 अथवा इससे अधिक माइक्रॉन के कण का स्तर 167 (वर्ष 2012) के साथ पटना विश्व का छठा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन इन्दिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र तारामंडल, पटना ने रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के प्रति घनमीटर 60 माइक्रोग्राम के मान्य सीमा के विरूद्ध 280 के साथ शहर के वायु घातीय को "अत्यधिक अस्वास्थ्यकर" घोषित (16 दिसम्बर 2016) किया।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये एम्बिएन्ट एयर क्वालिटि मोनिटरिंग हेतु गाईडलाइन यह बताता है कि रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मुख्य स्रोतों में से एक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना में वाहनों की संख्या 1 अप्रैल 2011 के 2.34 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 6.74 लाख हो गयी। यह स्पस्ट करता है कि पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

[redacted]

राज्य परिवहन आयुक्त राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों तथा उनके द्वारा निर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र का डाटाबेस संधारित नहीं कर रहे थे।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संधारित आँकड़ों के अनुसार हालाँकि शहर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के स्तर में वृद्धि हुई है, परन्तु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि कार्यालय में शहर के साथ राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित नहीं हो रहा था। जिसके परिणामस्वरूप विभाग प्रदूषण जाँच केन्द्रों के मानकों का अनुश्रवण नहीं कर सका, ताकि यह सुनिशिचित कर सके कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही हैं तथा सिर्फ उन्हीं वाहनों को राज्य में चलाने की अनुमति दी गई है, जो विहित प्रक्रिया के पालन के पश्चात् 'प्रदूषण नियंत्रण' के रूप में अभिप्रमाणित हैं। प्रदूषण जाँच केन्द्रों के क्रियाकलापों पर राज्य परिवहन आयुक्त के नियंत्रण का अभाव, पटना में प्रदूषण स्तर में वृद्वि का कारण हो सकता है।

[redacted]

जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों ने यह जाँच करने के लिए कि मोटर वाहन निर्धारित उत्सर्जन तथा प्रदूषण नियंत्रण मानक को पूरा कर रहे हैं, जाँच संचालित नहीं किया, जबकि उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये थे।

राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में प्रदूषण पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2016) कि भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गयी गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर को आठ जिला परिवहन पदाधिकारियों[8] और 22 मोटर वाहन निरीक्षकों को निर्गत किया गया था (मार्च 2009 तथा जून 2012 के बीच), ताकि वे वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जनों तथा प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा किये जाने की जाँच कर सके और निर्धारित शुल्क[9] लेकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करें। हालाँकि हमने पाया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों ने यह जाँच करने के लिए कि मोटर वाहन निर्धारित उत्सर्जन तथा प्रदूषण नियंत्रण मानक को पूरा कर रहे हैं, जाँच संचालित नहीं किया, जबकि उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये थे। इसका कारण प्राशिक्षित कर्मियों की कमी का होना था। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गई गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर का उपयोग नहीं किया गया था एवं वे अक्रियाशील रखे गये थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित पदाधिकारियों से सूचना मँगायी जा रही है।

[redacted]

राज्य परिवहन आयुक्त, प्रदूषण जाँच केन्द्रों का राज्य डाटाबेस संधारित नहीं कर रहे थे। अतः 106 प्रदूषण जाँच केन्द्रों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप [illegible] लाख के नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं हुई थी।

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 163 ई के उपनियम 6(i) के अनुसार प्रदूषण जाँच केन्द्रों को जारी किया गया लाइसेंस दो वर्षों के लिए वैध होगा तथा ₹ 5000 के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान करने पर अगले दो वर्षों के लिए पुनः नवीकृत किया जा सकता है।

---

8 भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा एवं सारण।

9 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित शुल्क दो पहिया/ऑटो रिक्शा के लिए ₹ 30, हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹ 50 तथा अन्य वाहनों के लिए ₹ 75 है।

राज्य परिवहन आयुक्त, राज्य में प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित करने में विफल रहे, अतः हमने पाया कि प्रदूषण पंजी में दर्ज 256 प्रदूषण जाँच केन्द्रों में से 106 जाँच केन्द्रों के लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित प्रविष्टि जुलाई 2007 और जनवरी 2016 के बीच नहीं पाई गयी। इसके फलस्वरूप ₹ 11.30 लाख के नवीनीकरण शुल्क की हानि हुई।

[redacted]

प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या तथा संग्रहित राजस्व से संबंधित रिटर्न जमा नहीं किया गया था।

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 163 ई के उपनियम 8 (बी) के अनुसार प्रदूषण जाँच केन्द्रों को मासिक रिटर्न अनुवर्ती माह के 5 वीं तिथि तक लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी को जमा करना होगा, जिसमें जाँचे गए वाहनों की संख्या, जाँच का परिणाम तथा निर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की संख्या का ब्योरा देना होगा।

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार पटना के प्रदूषण पंजी की संवीक्षा से हमने पाया कि प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। रिटर्न के अभाव में इन केन्द्रों द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या, संग्रहित राजस्व तथा सरकारी खाते में जमा किये गये राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अनुशंसा–3: सरकार/विभाग को प्रदूषण जाँच केन्द्रों का एक राज्य डाटाबेस संधारित करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही हैं तथा प्रमाणपत्र निर्गत करने के समय विहित प्रक्रिया अपनायी गयी है। यह विभाग को पटना एवं राज्य में वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है।

[redacted]

वाहन साफ्टवेयर के रजिस्ट्रेशन माड्यूल में वैलिडेशन जाँच के अभाव एवं जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अन्तः–सम्बद्धता में कमी के कारण 132 वाहनों का निबंधन कम विक्रय मूल्य पर हुआ था। पुनः 52 वाहनों का निबंधन दूसरे जिलों में क्रय की वास्तविक तिथि के बाद तथा कम विक्रय मूल्य पर की गई थी। अस्थायी निबंधन संख्या दिये बगैर 19,447 वाहनों की सुपुर्दगी की गई थी तथा 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का निबंधन बगैर ट्रेलर के किया गया था। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप ₹ 30.90 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई, जैसा कि नीचे वर्णित है:

[redacted]

घटे हुए बिक्री मूल्य पर 132 निजी वाहनों का निबंधन किये जाने से ₹ [illegible] लाख के राजस्व की हानि हुई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 (1) के प्रावधान, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित है (1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी), के अंतर्गत निजी वाहनों के निबंधन के समय बिक्री कर को छोड़ वाहनों के मूल्य के पाँच प्रतिशत की दर पर एकमुश्त कर वाहन के पुरे जीवन काल के लिए आरोपित किया जाना है। पुनः बिहार वित्त अधिनियम, 2012 (वर्ष 2012 का बिहार अधिनियम 6) के द्वारा एकमुश्त कर के दर को चार लाख रूपये मूल्य तक के वाहनों के लिए छः प्रतिशत तथा चार लाख रूपये से अधिक मूल्य के वाहनों के लिए सात प्रतिशत, जिसमें बिक्री कर शामिल नहीं है, संशोधित किया गया। 1 अप्रैल 2013 से पुनः संशोधित कर सभी निजी वाहनों हेतु कर के दर को सात प्रतिशत किया गया। पुनः परिवहन विभाग ने जुलाई 2013 में यह

निर्देश निर्गत किया कि जिला परिवहन पदाधिकारी कर का संग्रहण, व्यवसायियों द्वारा दिये गये वाहन के मूल्य के साथ बिक्री प्रमाण पत्र (प्रपत्र-21) की सत्यापन के बाद ही करें।

नमूना-जाँचित 12 जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस में प्रविष्ट बिक्री राशि का वाहनों के वास्तविक बिक्री राशि के साथ तिर्यक जाँच से हमने पाया कि तीन जिला परिवहन कार्यालयों[10] में 132 निजी वाहनों के वाहन डाटाबेस में दर्शायी गयी बिक्री राशि वाहनों की वास्तविक बिक्री राशि[11] से कम थी। चूंकि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर के साथ उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले वाहनों के व्यवसायियों के बिक्री/विक्रय मूल्य के डाटाबेस के साथ अन्तः-सम्बद्धता नहीं थी, अतः लागत मूल्य के इस अंतर का पता नहीं चल सका। तद्नुसार घटे हुए बिक्री राशि पर कर की गणना की गयी थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 13.75 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट-III** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने (अक्टूबर 2016) कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मँगायी जा रही है।

[redacted]

बिक्री की वास्तविक तिथि के बाद तथा घटे हुए बिक्री मूल्य पर वाहनों का दूसरे जिलों में [illegible] किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.11 लाख के राजस्व की हानि हुई।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 47 प्रावधित करता है कि नए वाहनों के निबंधन हेतु आवेदन उस निबंधन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है जिनके क्षेत्र में आवेदक का निवास हो अथवा जहाँ उसका व्यवसाय हो एवं वाहन साधारणतया रखा जाता हो। यात्रा की अवधि को छोड सुपर्दगी की तिथि के सात दिनों के अंदर निबंधन के लिए प्रपत्र 20 में आवेदन देना है। इसे नियमानुसार आवश्यक कागजातों के साथ समर्पित किया जाना है।

जिला परिवहन कार्यालयों, सारण, पश्चिमी चंपारण और रोहतास के निबंधन अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि 52 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने नवम्बर 2011 से जून 2014 के बीच निबंधन हेतु आवेदन दिया था लेकिन इन वाहनों का निबंधन अबतक लंबित था। जिला परिवहन कार्यालयों, वैशाली, पूर्वी चम्पारण और कैमूर के वाहन डाटाबेस के आँकडों के विश्लेषण से हमने पाया कि वही 52 वाहन (इनके चेसिस नंबर समान थे) इन जिला कार्यालयों में निबंधित थे। यद्यपि इनकी खरीद की तिथि वास्तविक खरीद की तिथि से बाद की थी और घटे हुए बिक्री मूल्य पर थी, जैसा कि पूर्व के जिला परिवहन कार्यालयों में दर्ज था। इस प्रकार, जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अंतः-सम्बद्धता के अभाव के कारण इन 52 वाहनों का निबंधन अन्य जिला परिहवन कार्यालयों में घटे हुए बिक्री मूल्य पर तथा खरीद की वास्तविक तिथि के बाद

---

10 कटिहार, पूर्णिया एवं सहरसा।

11 डाटाबेस में मोटर साइकिल का बिक्री मूल्य केवल ₹ 125 दर्ज था और कर मात्र ₹ 9 आरोपित किया गया था, लेकिन मोटर साइकिल का वास्तविक मूल्य ₹ 46,839 था और कर ₹ 3,279 आरोपित किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार मारूति स्विफ्ट (चार पाहिया) का मूल्य डाटाबेस में मात्र ₹ 38,965 दर्ज था और कर मात्र ₹ 2,728 आरोपित किया गया था, लेकिन कार का वास्तविक मूल्य ₹ 3,93,984 था एवं ₹ 27,579 का कर आरोप्य था। वाहनों की वास्तविक बिक्री राशि समान निर्माता कंपनी के उक्त अवधि में डाटाबेस में इसी मॉडल की कारों के मूल्य पर आधारित था, जिसे कुछ एजेन्सियों से सत्यापित भी कर लिया गया था।

हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.11 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि **तालिका–2.3** में नीचे वर्णित है।

तालिका–2.3

वाहनों का अनियमित निबंधन

[redacted]		
[redacted]	पश्चिमी चम्पारण	1.41
[redacted]	सारण	6.33
[redacted]	रोहतास	0.37
[redacted]		

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मामले की जाँच की जाएगी और आगे कहा कि वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर डाटाबेस में छेड़छाड़ को रोकने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत (अगस्त 2016) कर दिए गए हैं।

[redacted]

[redacted] वाले वाहनों का परिचालन हो रहा [redacted] सुरक्षा का मुद्दा है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 46 के अनुसार किसी भी राज्य में निबंधित मोटर वाहन को भारत में किसी दूसरे जगह निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे वाहनों से संबंधित निर्गत निबंधन प्रमाणपत्र संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा।

जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चंपारण के साथ जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चंपारण के वाहन डाटाबेस के 'ऑनर टेबुल' के तिर्यक जाँच से हमने पाया (मई 2016) कि निबंधन प्राधिकारी, पूर्वी चंपारण ने तीन मामलों में दो वाहनों को समान निबंधन संख्या आवंटित किया था। इनमें से तीन वाहन पथ कर का भुगतान जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चंपारण में कर रहा था, जबकि शेष तीन वाहन, जो समान निबंधन संख्या के थे, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चंपारण के कर तालिका में दर्ज पाए गए। हालाँकि, इन मामलों में चेसिस/इंजन संख्या भिन्न था, जैसा कि **परिशिष्ट–IV** में वर्णित है।

चूँकि कम्प्यूटर प्रणाली में स्वचालित वैलिडेशन जाँच नहीं था, अतः समान निबंधन वाले वाहनो का परिचालन विभिन्न जगहों पर हो रहा था। यह न केवल कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर सुरक्षा का मुद्दा है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने (अक्टूबर 2016) कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मँगायी जा रही है।

[redacted]

बिना अस्थायी निबंधन के वाहनों की सुपुर्दगी के परिणामस्वरूप शुल्क के रूप में ₹ 17.66 लाख की हानि हुई तथा साथ ही दंड के रूप में ₹ 3.89 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ था।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 42 के अनुसार वाहन का कोई भी व्यवसायी खरीददार को अनिबंधित मोटर वाहन नहीं सौपेंगे। वे सिर्फ उन्हीं वाहनों को सौपेंगे जिनका निबंधन जिला परिवहन कार्यालयों में अस्थायी/स्थायी रूप से हो गया है। पुनः मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 प्रावधित करता है कि मोटर वाहन का कोई भी मालिक अनिबंधित वाहन का उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं देगें तथा कोई भी व्यक्ति उस मोटर वाहन को नहीं चला सकता है, जिसका निबंधन नहीं हुआ है। बिना अस्थायी या स्थायी निबंधन के मोटर वाहन को खरीददार को सुपर्द करना उपरोक्त अधिनियम की धारा 39 का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 44 के तहत् अपेक्षित परिणाम अपरिहार्य है। परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने पहले ही इस संदर्भ में निर्देश जारी (28 जुलाई 2009) कर दिया है। पुनः इन प्रावधानो का अनुपालन नहीं किए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानो के तहत् ₹ 2000 का न्यूनतम दंड आरोपित किया जाना है।

चयनित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस के निबंधन अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (मई एवं जून 2016 के बीच) कि चार जिला परिवहन कार्यालयों[12] में दोपहिया/चार पहिया वाहनों के 16 वैध व्यवसायियों ने अगस्त 2005 और मार्च 2016 के बीच 19,447 वाहन बिना निबंधन के खरीददारों को सौंप दिया। उपरोक्त नियमावली के उल्लंघन में संबंधित निबंधन प्राधिकारियों ने इन मोटर वाहनों को निबंधन चिह्न जारी कर दिया, जिन्हें बिना स्थायी अथवा अस्थायी निबंधन के खरीददारों को सौंप दिया गया था। अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु उन व्यवसायियों के विरूद्ध संबंधित निबंधन प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। पुनः इन वाहनों के मालिक मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत् दंड का भुगतान हेतु दायी थे। इस प्रकार अस्थायी निबंधन फीस के रूप में ₹ 17.66 लाख के राजस्व की हानि हुई तथा साथ ही ₹ 3.89 करोड़ का दंड भी आरोपित नहीं किया गया, जैसा कि निम्न **तालिका–2.4** में वर्णित है:

तालिका 2.4
बिना अस्थायी निबंधन के वाहनों की सुपुर्दगी

(₹ लाख में)

[redacted]						
1	पश्चिमी चम्पारण	4	[illegible] और मार्च [illegible] के बीच	138	0.12	2.76
2	कैमूर	2	[illegible] और [illegible] के बीच	7,048	6.34	140.96
3	रोहतास	6	जुलाई [illegible] और मार्च [illegible] के बीच	4,801	4.49	96.02

12 कैमुर, किशनगंज, रोहतास एवं पश्चिमी चम्पारण।